"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2005—आश्विन 1, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2005

क्रमांक ई-1-6/2003/एक/2.—श्री विवेक ढॉड, भा.प्र.से. (1981), को प्रमुख सचिव वेतनमान रु. 22400-525-24500 में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से प्रमुख सचिव, जल संसाधन, ऊर्जा विभाग एवं प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री के पद पर पदस्थ किया जाता है. उन्हें प्रमुख सचिव वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ 4-13/2002/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री फखरुद्दीन, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 1 जुलाई, 2005 से 8 जुलाई, 2005 तक (आठ दिवस) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं दिनांक 9 से 10 जुलाई, 2005 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2005

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22-8-2005 द्वारा श्री पी. जॉय उम्मेन, भा.प्र.से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 27-8-2005 से 2-9-2005 तक (7 दिवस का स्वीकृत की गई अर्जित अवकाश में संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29-8-2005 से 2-9-2005 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28-8-2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2005

क्रमांक ई-7/8/2003/1/2.—श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 30-8-2005 से 15-9-2005 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती पिल्ले, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती पिल्ले, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पिल्ले, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2005

क्रमांक-बी-1/2/2002/एक/4.—राज्य शासन, राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पांचवां अधिसमय वेतनमान 16400-450-20000 स्वीकृत करता है तथा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1-3-2002 में आंशिक संशोधन करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्वीकृत 250 पदों की श्रेणीवार प्रतिशत निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है :—

स. क्र.	संवर्ग में स्वीकृत वेतनमान	संवर्ग में स्वीकृत 250 पदों की श्रेणीवार पुनरीक्षित संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसमय वेतनमान 16400-450-20000.	8 पद (3 प्रतिशत)
2.	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान 14300-400-18300.	15 पद (6 प्रतिशत)
3.	प्रवर श्रेणी वेतनमान 12000-375-16500.	45 पद (18 प्रतिशत)
4.	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 10000-325-15200.	62 पद (25 प्रतिशत)
5.	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 8000-275-13500.	120 पद (48 प्रतिशत)
		योग 250 पद

2. उपरोक्त स्वीकृति हेतु यू. ओ. क्रमांक-363/2005/नि-4, दिनांक 12-7-2005 से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2005

क्रमांक/डी-5488/89/2004/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2140/89/आजावि/2004 दिनांक 30-4-2004 में आंशिक संशोधन कर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, कोण्डागांव, जिला बस्तर के परियोजना सलाहकार मण्डल के अध्यक्ष पद पर मनोनीत सुश्री लता उसेण्डी, राज्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के स्थान पर श्री महेश बघेल, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, केशकाल को मनोनीत करता है.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2005

क्रमांक/5276/एफ-1-5/2005/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (ङ) में निहित प्रावधानों के तहत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-7-2003 के सरल क्रमांक 9 में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1-10-2003 द्वारा प्रतिस्थापित विवरण को अतिष्ठित करते हुए निम्नांकित विवरण प्रतिस्थापित किया जाता है :

"श्री देवेन्द्र सिंह, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाई. एस. बेले, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2005

क्रमांक 762/1376/2005/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री पी. सी. दलेई को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कमिश्नर ऑफ लेबर नियुक्त करता है.

No. 762/1376/2005/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) The State Government in supersession of all previous notifications issued in this regard, appoints "Shri P. C. Dalei" as the Commissioner of Labour for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2005

क्रमांक/7260/डी-2175/21-ब/छ.ग./2005.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 540/एक-8-6/2001/गोपनीय/2005, दिनांक 7 सितम्बर, 2005 के अनुपालन में श्री दयाराम दयाल, अवर सचिव, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, की सेवाएं उक्त प्राधिकरण से वापस लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय, छ. ग. बिलासपुर को एतद्द्वारा वापस की जाती है.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2005

फा. क्र. 7261/डी-2176/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 555/दो-15-2/2005/गोपनीय/2005, दिनांक 8-9-2005 के अनुपालन में श्री हीरा सिंह मरकाम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा, स्थान अंबिकापुर, को दिनांक 1-10-2005 से कुटुम्ब न्यायालय, रायगढ़ में न्यायाधीशं के पद पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2005

फा. क्र. 7296/डी-2174/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 553/दो-2-101/2001/गोपनीय/2005, दिनांक 8-9-2005 के अनुपालन में श्री माधव प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, अंबिकापुर, की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर से वापस लेते हुए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक अतिरिक्त सचिव के पद पर विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर को एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2005

फा. क्र. 7298/डी-2174/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 553/दो-2-101/2001/गोपनीय/2005, दिनांक 8-9-2005 के अनुपालन में श्री माधव प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, अंबिकापुर, की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक अतिरिक्त सचिव के पद पर विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर को एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2005

फा. क्र. 7301/डी-2174/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 553/दो-2-101/2001/गोपनीय/2005, दिनांक 8-9-2005 के अनुपालन में श्री अशोक कुमार पोद्दार, पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) अंबिकापुर, को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर में उप-सचिव के पद पर एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2005

फा. क्र. 7303/डी-2174/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 553/दो-2-101/2001/गोपनीय/2005, दिनांक 8-9-2005 के अनुपालन में श्री अशोक कुमार पोद्दार, पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) अंबिकापुर, की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उप-सचिव के पद पर विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर को एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत रे, प्रभारी सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2005

क्रमांक/7167/21-अ/स्था./छ.ग./05.—राज्य शासन, श्री टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग को दिनांक 8-9-2005 से 21-9-2005 तक कुल 14 दिवस का अर्जित अवकाश एतद्द्वारा स्वीकृत करता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2005

क्रमांक 7226/1642/21-ब/छ.ग./05.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रमांक 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, धर्म कर्म कराने वाले (मिनिस्टर आफ रिलीजन) पास्टर श्री राय मोजेस, इमलीभाठा, महासमुंद को छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में :—

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने, और

(2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाणपत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 7226/1642/21-B/C.G./2005.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to Paster Shri Roy Moses, M.F. Pentacostal Church Imlibhatha for Mahasamund District, State of Chhattisgarh:—

(1) To solemnise marriage, and

(2) To grant certificate of marriage solemnised between the Indian Christians for Mahasamund District, State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्त रे, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2005

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/2841/कृषि प्रकोष्ठ/2001/14-2.—कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का सं. 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक-56-57/कृषि प्रकोष्ठ/2001/14-2 दिनांक 12 अप्रैल 2001 को निम्नानुसार संशोधित करती है :—

शब्द "संयुक्त संचालक कृषि" के स्थान पर "अपर संचालक कृषि" स्थापित किया जाता है.

AMENDMENT NOTIFICATION

No./2841/Ag-P/2001/14-2.—In exercise of the powers conferred by section 12 of Insecticide Act, 1968 (No. 46 of 1968), the State Government hereby makes following amendment in Agriculture Department notification No. 56-57/Agri.-P/2001/14-2 dated 12 April 2001 :—

For the words "Joint Director Agriculture" the words "Additional Director Agriculture" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

कृषि (पशुपालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 2077/35/101/आयोग/2004.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 2516/35/101/आयोग/2003 दिनांक 18-9-2003 के तारतम्य में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ''गौ सेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग'' में अशासकीय सदस्य के रूप में नामांकित करता है :—

1. श्री गोपाल शर्मा, खरसिया, जिला रायगढ़.
2. श्री हरीभाई जोशी, बंजारी धाम, रायपुर.
3. श्री सेवा राम अग्रवाल, जिला सरगुजा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

रायपुर, 27 अगस्त 2005

क्रमांक 1489/35/101/आयोग/2005.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 2516/35/101/आयोग/2003 दिनांक 18-9-2003 के तारतम्य में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ''गौसेवा आयोग'' में अशासकीय सदस्य के रूप में नामांकित करता है :—

1. श्री रमेश दुबे, बिलासपुर
2. श्री रमेश यदु, भाटापारा, जिला रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अहिरवार, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2005

क्रमांक 2259/1605/32/04.—एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक 399/1605/32/2004 दिनांक 7-3-2005 द्वारा बिलासपुर विकास योजना के अंतर्गत बिलासपुर के ग्राम बहतराई के उपांतरण प्रस्तावित किये गये हैं, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम बहतराई प.ह.नं. 20 के खसरा क्रमांक 513, 514, 115, 517, 518/1, 518/2, 518/3, 526 एवं 619 कुल रकबा 6.87 एकड़ की सूचना में किये गये उल्लेख अनुसार बिलासपुर विकास योजना में निर्धारित उपयोग कृषि से सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक (शैक्षणिक) उपांतरण करने की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण बिलासपुर विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 8 सितम्बर 2005

क्रमांक 2270/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	नलपानी प.ह.नं. 36	87.60	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग, (छ.ग.).	खोलझर जलाशय क्र. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 सितम्बर 2005

क्रमांक 2270/ले. पा./2005/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	सम्बलपुर प.ह.नं. 24	17.40	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग, (छ.ग.).	सम्बलपुर उद्वहन सिंचाई योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अगस्त 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	रनपोटा प.ह.नं. 16	0.234	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	रनपोटा, घोधरी बसंतपुर मार्ग पर बोराई सेतु निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अगस्त 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नयाबाराद्वार प.ह.नं. 15	0.388	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. विभाग चाम्पा संभाग, चाम्पा.	बाराद्वार से जैजैपुर मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. जी. के. पिल्लई, अतिरिक्त कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 3 अगस्त 2005

क्रमांक/3899/क/भू-अर्जन/9/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	आवंराभाटा	0.20	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) दक्षिण बस्तर, संभाग, दंतेवाड़ा.	जीएडी कालोनी हेतु पहुंचमार्ग निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कलारमुड़ा प.ह.नं. 11	0.081	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलारमुड़ा जलाशय के डूब क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जामगांव प.ह.नं. 21	5.020	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	जामगांव जलाशय के डूब क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	गोबरसिंघा प.ह.नं. 37	0.379	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सारंगढ़.	झोरझोरा जलाशय नहर का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2005

क्रमांक/5/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बेलगहना	0.275	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	बेलगहना बहेरामुड़ा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 63/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-कंवली, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.860 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1393	0.024
1328/2	0.008
1091/18	0.077
848/7, 13	0.053
1091/13	0.085
1091/15	0.024
1091/7	0.032
1062/4	0.061
829	0.024
846/10	0.121
846/16	0.157
1091/17	0.089
1254/3, 4	0.057
366	0.008
1062/4	0.020
862/5	0.020
योग	0.860

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा उप शाखा वितरक 3 L माइनर, L माइनर, 5 L माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 82/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-बड़ेसीपत, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.256 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
106/3, 109/3	0.081
119	0.101
107/4	0.068
107/1, 2	0.032
1138	0.081
86/1	0.081
86/9	0.093
86/3	0.064
1137/3	0.081
1147/1	0.072

(1)	(2)
447	0.064
435/3	0.081
435/2 क, 2 ख	0.142
86/5	0.097
449/5	0.069
450/2	0.049
योग	1.256

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रबेली उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 100/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिहरिद, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.688 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1234/4	0.036
1241/1	0.081
1239	0.008
1292/2	0.016
1375	0.024
1367	0.016
1241/2	0.073
576/1	0.036
573	0.004
538/3, 4	0.081
334/4 क	0.012
1232/3	0.081
572	0.040
321/3	0.032
401/1	0.012
498	0.008
1294	0.016
1290/2	0.028
397/1	0.028
1188/2	0.028
1372	0.012
1408	0.016
योग	0.688

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमेराडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 113/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124/31	0.024
योग	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भागोडीह ब्रांच माइनर I.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 149/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.164 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1662/2, 4	0.012
2233	0.012
2349/2	0.020
2351/1	0.028
2362/2 ख	0.020
2364	0.020
2220, 2365	0.036
2366/1	0.016
योग	0.164

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फरसवानी सब डिवाय नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 150/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.281 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
912	0.004
1831/1	0.008
885/3	0.028
1124	0.040
1487/1	0.024
1750/3	0.008
1616, 1734	0.016
1571/1 ख	0.024
1486/1	0.024

(1)	(2)
1125	0.065
1570/2	0.040
योग	0.281

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फरसवानी सब डिवाय, खैरा माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 153/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सूखापाली, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.262 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
263, 265	0.049
108	0.012
153	0.012
154/7	0.012
154/1	0.008
154/2	0.012
154/4	0.012
155	0.097
156/1	0.012
156/2	0.036
योग	0.262

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखापाली माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 154/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-फगुरम, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
765/2	0.049
योग	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुधरी माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 155/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.173 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179/2	0.008
591/3	0.040
648/2	0.049
631/2	0.036
675/3	0.040
योग	0.173

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा वितरक, बड़े मुड़पार सब डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 157/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.016
योग	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फरसवानी माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 159/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बाड़ादरहा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
559/13	0.024

(1)	(2)
721/2	0.016
योग	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-6 एल/1 आर, ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक 160/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-तौलीपाली, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.084 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
136/11	0.012
136/3	0.016
206/19	0.020
208/9	0.020
136/10	0.016
योग	0.084

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फगुरम सब डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 अप्रैल 2005

क्रमांक 226/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सेरो, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.375 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
187	0.141
272/1	0.040
173/2	0.020
181/4	0.101
360/3, 361/3	0.073
योग	0.375

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 14 जुलाई 2005

क्रमांक 228/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सेरो, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.336 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
393/2	0.004
393/3	0.206
393/4	0.004
393/7	0.041
394/1	0.081
योग	0.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धूरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. जी. के. पिल्लई, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-नन्देली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.077 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
756	0.271
766/4	0.040
766/5	0.040
798	0.243
837/1	0.125
837/2	0.130
838	0.040
840/1	0.093
840/2	0.097
843/3	0.093
750/1	0.210
750/2	0.097
750/3	0.093
750/4	0.040
764	0.202
836	0.263
योग 16	2.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोतासुरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-तेतला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.566 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39/2	0.016
39/3	0.045
39/4	0.052
39/5	0.016
39/6	0.016
39/7	0.235
39/8	0.073
39/9	0.097
425	0.696
424/6क	0.030
424/6ख	0.075
40/6	0.101
40/7	0.114
योग 13	1.566

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केनसरा जूनाटार जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-केनसरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.516 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
469	0.012
549	0.020
549	0.068
536	0.010
473/1	0.384
473/2	0.385
473/3	0.125
503	0.275
505/4	0.050
505/7	0.050
508/2क	0.004
508/3	0.016
509	0.077
514	0.081
519	0.035
520	0.105
523/1	0.061
523/2	0.065
526/1	0.016
526/2क	0.016
526/2ख	0.371
530/2	0.036
530/4	0.005
530/3	0.005
472/1	0.393

(1)	(2)
531	0.157
538	0.030
472/2	0.259
480/3	0.405
योग 29	3.516

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केनसरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सोड़ेकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.390 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
11/1	0.020
11/2	0.061
12/1	0.193
12/2	0.075
16/2	0.036
योग 5	0.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोड़ेकेला जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छुहीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.531 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
44/3	0.065
45	0.097
46	0.206
47	0.105
50	0.328
51	0.279
52	0.316
53	0.162
54/1	0.134
54/2	0.486

(1)	(2)
55	0.223
56/3	0.036
56/5	0.045
71	0.032
72/4	0.012
87	0.049
88/1	0.008
89	0.028
91	0.028
93	0.016
94	0.206
95	0.186
97	0.401
98	0.105
99/1	0.202
99/2	0.040
99/4	0.607
100	0.178
102/1	0.105
103	0.210
110	0.182
322/26	0.085
322/29	0.053
322/31	0.049
322/32	0.028
322/33	0.057
322/35	0.077
योग 37	5.531

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छुहीपाली जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.419 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
140/1	0.089
140/5	0.405
140/6	0.089
156	0.320
157	0.316
158	0.866
159	0.534
170	0.575
161	1.975
162/2	0.567
162/3	1.194
162/7	0.053
162/8	0.093
162/9	0.042
162/10	0.457
162/11	0.312
162/12	0.536
185/1	0.603
186/2	0.242
186/3	0.162
186/4	0.178
186/5	0.045
186/6	0.065
192/2	0.405
192/3	0.138
192/4	0.405
192/7	0.077
192/8	0.405
192/9	0.162

(1)	(2)
192/10	0.405
192/12क	0.081
192/12ख	0.214
192/13	0.101
192/14	0.097
192/15	0.081
192/16	0.121
192/17	0.008
योग 37	12.419

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पण्डरीपानी जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोतमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.396 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
500	0.210
560/1	0.097
569	0.089
योग 3	0.396

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गोतमा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जुर्डा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.973 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26/4	0.089
29/4	0.198
29/5	0.105
29/6	0.040
29/7	0.109
31/4	0.343

(1)	(2)
31/10	0.089
योग 7	0.973

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जुर्डा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-झारगुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.149 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
18/2 क	0.049
18/5	0.049
18/11	0.065
18/32	0.295
18/35	0.089
75/7	0.028
75/9	0.130
76/2	0.202
77/3	0.121
77/5	0.121
योग 10	1.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- झारगुड़ा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
225	0.182
योग 1	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सराईपाली जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लोईंग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.324 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
32/2	0.405
32/3	0.021
32/14	0.101
32/31	0.405
40/4	0.121
47	0.234
51/1	0.004
51/2	0.006
51/3	0.004
55/1	0.206
55/2	0.206
55/3	0.207
58	0.101
59/2	0.607
60/1	0.260
60/2	0.405
61/1	0.226
61/2	0.226
61/3	0.227
61/4	0.227
62/2	0.061
62/3	0.283
62/4	0.089
62/6	0.725
62/8	0.243
62/10	0.097
62/11	0.405
62/14	0.121
62/19	0.101
योग 29	6.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भोजपल्ली जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 22 अगस्त 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-बुड़बुड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-509.23 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/2	1.50
7(P)	3.24

(1)	(2)	(1)	(2)
8	0.40	52	0.45
9	2.40	53	1.40
10	1.52	56	0.55
11	1.29	57	0.31
12	0.64	58	0.34
13	0.96	60	0.50
23(P)	2.00	61	0.66
24	1.92	62	0.79
25	1.92	63	0.77
26/1	0.22	65	0.60
26/2	0.90	67	0.41
26/3	1.90	69	0.14
27/1	0.75	70	1.12
27/2	0.40	71	0.21
27/3(P)	5.02	72	0.06
28	1.60	73	1.45
29	1.15	74	0.41
30	1.21	75	0.53
31	1.74	76	0.42
32	0.48	77	0.45
33	0.24	78	0.43
34	1.18	79	0.40
35	1.58	80	0.33
36	0.06	81	0.23
37/1	0.48	82	0.37
37/2	0.70	83	0.47
37/3	0.10	84	0.12
37/4	0.20	85	0.26
38	0.55	86	0.34
39/1	0 10	87	1.14
39/2	0.09	88	1.84
40	1.29	89	0.24
41	0.18	90	0.19
42	0.63	91	0.53
43	0.10	92	1.25
44	0.47	93	0.78
45	0.50	94	0.21
46	0.60	95	0.24
47	0.08	96	0.14
48	0.80	97	0.18
49	0.30	98	0.24
50	6.81	99	0.18
51	2.69	100	0.11

(1)	(2)
101	0.62
102	0.88
103	0.32
104	0.33
105	0.13
106	0.32
107	0.10
108	0.14
109	0.25
110	0.16
111	0.34
112	0.09
113	0.06
114	0.31
115	0.37
116	5.01
117	0.66
118	0.25
119	0.45
120	0.37
121	2.55
122/4	0.30
123	0.55
124	0.45
125	1.31
126	0.36
127	0.27
128	0.32
129	0.93
130	0.49
131	0.65
142	1.87
143	0.50
144/1	0.40
144/2	0.05
146	0.04
147	1.64
148	0.17
149	1.70
151	0.15
152	0.90
153	0.14
154	0.10

(1)	(2)
155	0.11
156	0.10
157	0.08
158	0.10
159	0.17
160	1.72
161	1.38
162 (P)	3.00
163	0.78
164	0.98
168	0.31
169 (P)	1.50
170	1.22
171	1.99
172	0.80
173	0.45
174 (P)	3.22
175	4.76
176	0.15
177 (P)	0.38
178 (P)	0.20
248	0.18
249	0.14
250	0.10
252/1	0.05
252/2	0.05
253	0.07
254	2.19
255	0.19
256	0.12
257	0.10
258 (P)	0.40
259 (P)	0.79
260 (P)	0.79
265 (P)	0.38
266	2.31
267	0.46
268	0.47
269	0.25
270	2.11
271	2.53
272	0.13
273	0.80

(1)	(2)
274	2.28
275	0.08
276	1.06
277	2.15
278	7.59
279	0.35
280	0.55
281	0.35
282	0.39
283/2	0.30
283/3	1.40
283/4	0.54
283/5	0.15
284	0.20
285	0.20
286	0.20
287/1	1.00
287/2	0.42
288	1.20
291	6.90
292	2.98
295	0.64
297	0.60
298	1.95
299	0.16
300	0.66
301	0.44
304	1.06
305	0.76
306	3.32
307	1.03
308	1.59
309	0.37
310	3.33
311	0.30
312	0.58
313	0.89
314	0.35
316	0.80
319	0.34
320	1.03
321	1.86
322	0.10
323	1.56
324	0.86
325	0.28
326	0.92
327	1.52
328	2.86
329	0.09
330	0.55
331	0.76
332	0.95
333	0.27
334	0.70
335	0.40
336	0.20
338	1.68
339	0.07
340	1.46
342	0.60
343	0.68
344	0.59
345	2.51
346	1.34
347	0.72
348	1.88
349	0.43
350	2.05
351	0.70
352	0.80
353	0.36
355	0.52
356	0.07
358	0.63
359	0.78
360	0.20
361	0.22
362/1	0.82
262/2	0.20
363	0.65
364	1.20
366	1.05
367	0.55
369	0.65
371	1.34

(1)	(2)	(1)	(2)
372	0.65	425	0.63
373/1	1.00	426	0.48
373/2	0.21	427	0.10
374	0.15	428	0.18
375	0.78	429	0.12
376	1.52	430	0.10
377	0.22	431	0.11
378	0.56	432	0.26
379	0.38	433	0.15
389	0.33	434	0.94
390	0.26	436	0.21
391	0.51	437	0.40
392	0.33	438	3.41
393	0.30	439	4.03
394	0.20	440	0.17
395	0.54	441	0.15
396	0.48	442	0.65
397	0.52	443	0.67
398	2.93	444	0.60
399	0.17	445	2.80
400	0.18	447	0.25
401	0.16	448	1.20
403	0.62	449/1	1.80
404	1.23	449/2	0.80
405	1.31	450	1.19
406/1	1.62	451	1.60
406/2	0.10	452	0.28
407	1.94	453	0.85
408	0.94	454	2.02
409	0.70	455	2.11
410	0.93	456	0.85
411	1.15	457	0.46
412	0.20	458	0.35
413	2.22	459	1.60
414	0.22	460	1.48
415	0.60	461	1.56
416	0.80	462	0.32
417	1.30	463	0.46
418	0.40	464	0.66
419	2.77	465	0.80
420	0.15	466	0.81
423/2	0.13	467	1.20
424	3.30	468	0.58
		469	0.16
		471	0.07

(1)	(2)
472	0.94
473	0.35
474	0.40
475	0.40
476	0.70
477	0.49
478	0.35
479	0.18
484	0.51
485	0.70
489	0.58
490/2	2.17
490/3	1.40
491	3.00
492	0.60
494/1	10.00
494/2	0.93
495	0.52
496	1.08
498	0.68
500	0.90
501	0.71
503	0.53
504	0.62
506	0.96
508	1.22
509	2.00
510	2.40
513/2	0.35
514	0.93
523	0.30
524	0.26
525	0.42
526	0.62
527	0.74
528	1.90
529	1.37
530	0.28
531	0.52
544	0.45
548	2.20
549	3.80
550	5.06

(1)	(2)
551	0.14
552	0.07
553	3.30
554	0.82
555	0.88
557	0.95
558	1.92
559	0.70
560	0.85
563	0.77
564	1.93
565/2	0.79
566	0.64
567	1.48
568	0.40
569	1.06
570	0.98
571	0.10
572	1.50
573	0.06
574	2.00
576	3.90
577	5.05
581	0.10
582	6.11
584	0.54
585	1.02
586	1.00
587	9.60
588	2.35
589	1.11
590	0.24
592	1.34
594	2.21
596/1	0.42
596/2	2.20
597	0.75
598	0.35
599	0.04
601	0.10
602	1.05
603/1	0.72
603/2	0.70
605	1.74
606	0.55
607	3.50

(1)	(2)
608	1.50
609/1	0.40
609/2	1.15
611	1.30
612	0.12
613	0.70
614	1.07
615	4.60
616	0.57
617(P)	0.25
628	1.28
630	3.18
631	0.20
632	1.23
633	1.15
634	1.82
635	4.87
636	0.45
638	1.91
639	2.60
641	0.90
642	2.28
643	2.32
644	1.25
658	1.90
659	1.80
660	2.54
661	2.18
662	5.97
663/1	0.25
663/2	0.40
54	0.16
68	0.06
145	0.02
150	0.06
289	0.74
293	0.09
294	0.50
296	0.10
341	0.03
354	0.48
357	0.32
365	0.20
368	0.24
421	1.03
422	2.41
435	0.07
545	0.35
546	0.72
626	1.20
627	1.10
480(P)	0.50
482	0.04
483	0.16
487	0.19
499	0.21
575	1.45
591	0.20
593	0.35
595	0.16
600	0.12
604	0.20
637	0.14
640	0.40
302(P)	2.50
370(P)	2.00
481	0.77
488	0.94
561(P)	2.22
283/1(P)	0.75
490/1(P)	2.39
513/1(P)	5.53
योग	509.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सराईपाली ओपन कास्ट कोयला खदान खोलने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 22 अगस्त 2005

भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-राहाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-45.69 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
50	0.62
51	1.10
52	0.76
53	2.38
54	0.95
55	5.19
59	1.46
61	0.17
64	4.67
96	3.40
97	1.06
98	0.45
99	2.06
100	1.92
101	3.00
58	0.15
60 (P)	2.29
63	0.60
65	0.15
56	2.85
77(P), (77/7,77/5K, 77/5KH)	6.86
103 (P), (103/11, 103/13, 103/2K, 103/2KH,103/12, 103/3)	3.60
योग	45.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सराईपाली ओपन कास्ट कोयला खदान खोलने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा
बी-99, मेन रोड, समता कालोनी, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2005

पृ. क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2005/17/2526.—शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चलाये गये विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्त शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षकों के लिये विशेष विभागीय अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग 1 दिनांक 29-8-2005 से 2-9-2005 तक आयोजित की गई. शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षकों को प्राप्तांक के आधार पर निम्नांकित परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं :—

क्र.	रोल नंबर	शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षक का नाम
1.	2001	श्री प्रदीप कुमार सोनकर
2.	2002	श्री नंद कुमार सोनवानी
3.	2004	श्री रामचरण ध्रुव
4.	2005	श्री दिनेश कुमार

मनिंदर कौर द्विवेदी,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th August 2005

No. 506/III-8-2/2001.—In exercise of the power conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 21 of the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984) the High Court of Chhattisgarh makes following rules viz. :—

THE FAMILY COURTS (CHHATTISGARH HIGH COURT) RULES, 2005.

1. **Short-Title, Commencement and Application :**

(1) These rules shall be called "Family Court (High Court of Chhattisgarh) Rules, 2005".
(2) These rules shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.
(3) These rules shall apply to the Family Courts established in the State of Chhattisgarh.

2. **Definitions :** In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Family Courts Act, 1984 (Act No. 66 of 1984).
(b) "Family Court" means the Court established under Section 3 of the Act.
(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh.
(d) "High Court" means the High Court of Chhattisgarh.
(e) "Judge" means the Judge appointed under Sub-section 1 of Section 4 of the Act and includes a Principal Judge or Additional Principal Judge of the Family Court.
(f) All other words and expressions not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Working hours :**

(1) The normal working hours of the Court shall be from 11.00 A. M, to 5.00 P. M. with a recess break 2.00 P. M. to 2.30 P. M.
(2) The Judge may, for expedience, hold proceedings of the Court beyond the working hours as prescribed in sub-rule (1) above and even on holidays.

Provided that no such proceeding on holidays shall be held under the sub-rule except with the consent of the Counsellors, Representatives of the Social Organization and parties to the proceedings.

4. **Place of Sitting :** The Judge of the Family Court may sit at places other than the ordinary place of sitting in consultation with the Counsellors and the parties to the proceedings.

5. The provisions of the legal aid scheme may be invoked in appropriate cases in the proceedings under the Act.

6. **Institution of proceedings :** All proceedings instituted before the Family Court will be by way of plaint. However, in respect of applications under Chapter IX of the Criminal Procedure Code, the provisions of that Code shall apply.

7. The plaint or application, affidavits, relevant annexures shall be filed along with the copies thereof as fixed by the Court before an officer designated by the Court.

8. **Proceeding for summons etc. :** In all proceeding the writ of summons to appear and answer shall be in the appropriate forms prescribed for civil and criminal courts with such modification as may be considered necessary and expedient by the Court.

9. All writs of summons except orders, warrants and other processes shall be signed by the designated officer of the Court and shall bear the seal of the Court and orders, warrants and other processes shall be signed after due verification by the Presiding Judge.

10. A writ of summons shall be served in the manner prescribed in the Code of Civil Procedure, save and except the proceeding under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure where the provisions of that code will apply,

11. **Counselling :** On the returnable date of the summons, the Judge shall, on the same day, or on any subsequent date in consultation with the Counsellor, direct the parties to the proceedings to attend the Counsellor for the purpose of Counselling.

Provided that the Judge, while briefing the Counsellor, shall bear in mind the nature of the dispute, the conve nience of the parties, the special requirement of the case in hand and other ancillary matters.

12. The Counsellor appointed to counsel the parties shall fix the time and date of appointment. The parties shall be bound to attend the Counsellor on the date and at the time so fixed.

13. If either of the parties fails to attend the Counsellor on the date and time so fixed, the counsellor may fix another date and shall communicate the same to the absentee party by registered post. In case of default by either of the parties on the adjourned date, the Counsellor shall submit a report to the Court and on receipt of such report, the Court may proceed with the matter in the absence of the defaulting party without prejudice to other powers of the Court to take action against the defaulting parties.

14. The Counsellor interested with any petition, on apperance of the parties before him, shall assist and advise the parties regarding the settlement of the subject matter of dispute and shall endeavour to help the parties in arriving at conciliation.

15. (1) The Counsellor may, in discharge of his duties, visit the home of either of the parties and interview the relatives, friends and acquaintances of either of the parties.
    (2) The Counsellor in discharge of his duties, may also seek such information as he deems fit from the employer of either of the party and such requisition for information shall be made through the Court.
    (3) The Counsellor may take the assistance of any organization, institution or agency, approved by the High Court, in discharge of his duties.

16. The Counsellor shall submit a report to the Court as and when called for to assist the Court in deciding the case in hand. The report may, *inter alia*, contain the following points :—

    (a) Living environment of the parties concerned;
    (b) Personalities;
    (c) Relationship;
    (d) Income and standard of living;
    (e) Status in society;
    (f) Counsellors opinion and findings.

17. The Counsellor may also supervise the child/children if and when called upon by the Court.

18. **Confidentiality of information :** Information gathered by the Counsellor or any statement made before the Counsel or any notes or report prepared by the Counsellor shall be treated as confidential and the Counsel shall not be called upon to disclose such information, statement, notes or report of any Court except with the consent of both the parties.

19. **Settlement :** When the parties arrive at a settlement before the Counsellor relating to the dispute or any part thereof, such settlement shall be reduced into writing and shall be signed by the parties and counter signed by the Counsellor.

20. The proceedings before the Court shall be heard and dispose of, as expeditiously as possible and preferably within three months and in achieving the objective, the rules or procedure may not rigidly adhered to.

21. **High Court's power to supervise etc:** For carrying out the purpose of the Act and for ensuring the uniformity of practice to be observed by the Family Courts and for expeditious disposal, the High Court may from time to time supervise and inspect the Family Court and issue directions, circulars etc., to the Family Court.

22. **Periodical Return;** The Family Court shall submit to the High Court such periodical return and statistical information as may be called from time to time.

23. **Miscellaneous :** All other matters not covered under these rules shall be governed by Chhattisgarh Civil Court Rules and Rules and Orders (criminal).

Bilaspur, the 7th September 2005

No. 540/Confdl./2005/I-8-6/2001 (Pt.II).—Pursuant to the transfer and posting of Shri Dayaram Dayal, Under Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur as IInd Civil Judge Class-I, Jashpurnagar vide High Court Registry Order No. 525/Confdl./2005/II-3-1/2005 dated 31-8-2005, the services of Shri Dayaram Dayal are handed over to the Law & Legislative Affairs Department of the Government of Chhattisgarh, Raipur with immediate effect.

Bilaspur, the 7th September 2005

No. 543/Confdl./2005/II-15-2/2005.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2), who are presently posted as judges of Family Court, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No.	Name & present designation	From	To	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Shri Raghubir Singh, Principal Judge, Family Court.	Raipur	Korba	Judge, Family Court
2.	Shri Heera Ram Gurupanch, II Additional Principal Judge, Family Court.	Durg	Ambikapur	Judge, Family Court

Bilaspur, the 7th September 2005

No. 545/Confdl./2005/II-2-1/2005.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Coulmn No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S.No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Lochan Ram Thakur, VIII Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Durg	Jagdalpur	Bastar	I Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
2.	Shri Sewak Ram Banjare, III Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)	Janjgir	Janjgir	Janjgir-Champa	Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
3.	Shri Naresh Kumar Chandrawanshi, IX Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	IV Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
4.	Shri Ravi Shankar Sharma, VIII Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Bilaspur	Bilaspurr	Bilaspur	V Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
5.	Shri Vinay Kumar Kashyap IX Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Durg	Durg	Durg	I Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
6.	Shri Vijyendra Nath Pandey, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Ramanujganj	Durg	Durg	II Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
7.	Shri Nand Kumar Singh Thakur, II Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Mungeli	Mungeli	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
8.	Shri Narsingh Usendi, VII Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Durg	Bhatapara	Raipur	Additional District & Sessions Judge in the newly created Court.
9.	Shri Nirmal Minj, XII Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Raipur	Raipur	Raipur	II Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Shri Agralal Joshi, IV Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Raigarh	Raigarh	Raigarh	II Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
11.	Smt. Amrita Sanjay Lal XIV Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Raipur	Raipur	Raipur	IV Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
12.	Smt. Rajni Dubey, X Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Bilaspur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	II Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
13.	Shri Deepak Kumar Tiwari Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Kawardha	Raipur	Raipur	Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
14.	Shri Neelam Chand Sankhla, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Pendra Road	Durg	Durg	III Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
15.	Shri Khagendra Singh VIII Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Raipur	Jashpurnagar	Jashpur	Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
16.	Shri Nico Dious Ekka, X Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Raipur	Khairagarh	Rajnandgaon	Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
17.	Shri Jerom Kujur, IV Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Ambikapur	Manendragarh	Surguja	Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
18.	Shri Tularam Churendra, II Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Surajpur	Ambikapur	Surguja	I Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
19.	Shri Pooran Nath Tembhurkar, Additional District & Sessions Judge.	Sanjari Balod	Jagdalpur	Bastar	II Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
20.	Shri Sanjay Sendray, I Additional District & Sessions Judge.	Surajpur	Baloda Bazar	Raipur	I Additional District & Sessions Judge vice Shri P. K. Dave.
21.	Shri Pradeep Kumar Dave, I Additional District & Sessions Judge.	Baloda Bazar	Balod	Durg	Additional District & Sessions Judge vice Shri P. N. Tembhurkar.
22.	Shri Anil Kumar Gaikwad, II Additional District & Sessions Judge.	Ambikapur	Durg	Durg	IV Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.

Bilaspur, the 7th September 2005

No. 547/Confdl./2005/II-2-1/2005.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Coulmn No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S.No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Pradeep Kumar Shrivastava, I Additional Principal Judge. Family Court.	Raipur	Ambikapur	Surguja	District & Sessions Judge.
2.	Smt. Anita Jha, Judge, Family Court.	Bilaspur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	District & Sessions Judge.
3.	Shri Inder Singh Uboweja, District & Sessions Judge.	Rajnandgaon	Kawardha	Kabirdham	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 7th September 2005

No. 549/Confdl./2005/II-15-66/2001 (Pt.II).—Shri Radha Kishan Agrawal, presently posted as IV Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Surajpur is transferred and posted as Additional Director, Judicial Officers' Training Institute, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

By order of the High Court,
R. K. BEHAR, Registrar General.